मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, 462004

क्रमांक / एफ 25–36 / 2005 / 10–3 भोपाल, दिनांक: 10 अप्रैल, 2015

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश

विषय :– भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 एवं धारा–4 (1) में अधिसूचित वन भूमियों पर अधिकारों को अभिलेखित किये जाने बाबत्।

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 13.02.2015

--0--

उपरोक्त विषय में कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

2/ उक्त पत्र वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वन भूमियों में व्यक्ति एवं समुदाय के विद्यमान अधिकारों को अभिलिखित किये जाने के संबंध में है। यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 अन्तर्गत अधिसूचित संरक्षित वन एवं धारा–4 (1) अन्तर्गत अधिसूचित प्रस्तावित आरक्षित वन भूमियों पर तत्समय राजस्व अभिलेखों में दर्ज व्यक्ति एवं समुदाय के अधिकारों को, सक्षम राजस्व अधिकारियों द्वारा जाँच कर संभवतः अभिलिखित नहीं किये गये हैं।

3/ अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि उक्तानुसार पूर्व में अधिसूचित संरक्षित वन एवं प्रस्तावित आरक्षित वन भूमियों पर तत्समय राजस्व अभिलेखों में दर्ज व्यक्ति एवं समुदाय के अधिकारों के स्वरूपों की जानकारी, सक्षम राजस्व विभाग के अधिकारियों से, अभिलिखित करवाकर, संबंधित वन मण्डल अधिकारियों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही दो माह की अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

अजीत

(ए.पी. श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग

पृ0क्र0 / एफ 25–36 / 2005 / 10–3 भोपाल दिनांक: 10 अप्रैल 2015

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन, राजस्व विभागं, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), एवं वन्य प्राणी वनमण्डल, मध्यप्रदेश।
5. समस्त वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय) एवं वन्य प्राणी वनमण्डल, मध्यप्रदेश।
6. संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी म.प्र., मुख्य वन संरक्षक सिंह परियोजना एवं वन मण्डलाधिकारी, पालपुर कूनो अभ्यारण्य मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।